मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय, 4–ए गोखले मार्ग, लखनऊ
फोन कार्या0 0522–2208737, 2207065
फैक्स नं0– 0522–2208769
E mail : md.mvvnl2010@gmail.com

पत्रांकः 164 प्रनि / मविविनिलि / कैम्प   दिनांक 19/7/ 2014

कार्यालय ज्ञाप

मध्यांचल मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्याः– 159–प्रनि / मविविनिलि / कैम्प / 15प्रति.सुपरविजन चार्जेज / (वा.), दिनांकः 26.11.2013 एवं 167–प्रनि / मविविनिलि / कैम्प / 15प्रति.सुपरविजन चार्जेज / (वा.), दिनांकः 03.12.2013 में निहित दिशा निर्देशों के अधीन मध्यांचल क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न राजमार्गों के चौड़ीकरण का कार्य 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज जमा कर मार्ग में पड़ने वाले विद्युत खम्भे / परिवर्तक / एचटी / एलटी लाईन के विस्थापन का कार्य हेतु भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण को अनुमति प्रदान की जाती है।

भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के ठेकेदारों द्वारा निर्मित हुआ विद्युत ढ़ाँचा निगम की विद्युत प्रणाली से संलग्न होता है तथा भविष्य में रख–रखाव निगम द्वारा ही कराया जाता है।

कतिपय स्थानों पर यह देखा गया है कि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विस्थापन में प्रयुक्त की गयी विद्युत सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है तथा सम्पन्न कार्य की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित होने वाले कार्यों में, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्जेज जमा कराकर कराये जाने वाले कार्यों में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री का प्री–डिस्पैच निरीक्षण तथा सम्पादित कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही वितरण इकाइयों द्वारा अपने विद्युत तंत्र से जुड़ने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

उक्त आदेशों के नैष्ठिक अनुपालन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता(वितरण) एवं अधीक्षण अभियन्ता(वितरण) की होगी।

ए0पी0 मिश्र
प्रबन्ध निदेशक

सं0 164 प्रनि / मविविनिलि / कैम्प तददिनांक 19/7/ 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः –

1. मुख्य अभियन्ता (वितरण), लेसा / फैजाबाद / बरेली / लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता(वितरण), विद्युत वितरण मण्डल, मध्यांचल निगम।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता(वितरण), विद्युत वितरण खण्ड, मध्यांचल निगम।
4. संबंधित परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
5. नोटिस बोर्ड मध्यांचल निगम।

FAx
Mail

(अनिल पाण्डेय)
अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफीसर